



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032022-234026
CG-DL-E-10032022-234026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]
No. 181]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/ फाल्गुन 18, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सा.का.नि. 184(अ).—जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 88 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श से एतद्वारा, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

- (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2022 कहा जा सकेगा।
(2) ये 7 जनवरी, 2021 से प्रभावी हुए माने जाएंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 (यहां इसके पश्चात उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में, नियम 2 में, खंड (छ) में, उप-खंड (झ) में, मद (ड) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा-
“(च) जम्मू और कश्मीर पुलिस सेवा;”।
- उक्त नियमावली के नियम 4 में, उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमावली के नियम 9 में, उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 14015/40/2021-अभासे-(I)(8)]

पंकज गंगवार, अवर सचिव

नोट: मूल नियमों को दिनांक 08 सितंबर, 1954 की अधिसूचना संख्या 3/4/54-अभासे(II) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार दिनांक 9 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 14015/33/2010-अभासे(I)-क के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2022.

G.S.R. 184(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with section 88 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), the Central Government after consultations with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Recruitment) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 7th day of January, 2021.
2. In the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in clause (g), in sub-clause (i), after item (e) and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
“ (f) the Jammu and Kashmir Police Service; ”.
3. In rule 4 of the said rules, sub-rule (3) shall be omitted.
4. In rule 9 of the said rules, sub-rule (3) shall be omitted

[F. No. 14015/40/2021-AIS(I)(8)]

PANKAJ GANGWAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* the notification number 3/4/54-AIS(II), dated the 8th September, 1954 and last amended *vide* notification number, 14015/33/2010-AIS(I)-A, dated the 9th December, 2010.